न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 67 / 2015 पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

1. धन्नाराम पुत्र नाराणा
2. धीरसिंह पुत्र नाराणा (मृतक)
   2.1 बिमला देवी पत्नी धीरसिंह
   2.2 सत्यवीरसिंह, सुरेन्द्र सिंह पिता धीरसिंह
   2.3 सुनीता पुत्री धीरसिंह
3. हरीराम पुत्र नाराणा
4. धर्मपाल पुत्र नाराणा
5. रामेश्वर पुत्र मालाराम
6. फुलचन्द पुत्र मालाराम
7. अमरसिंह पुत्र मालाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण राहड़ा का बास तहसील मलसीसर

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
2. राजेन्द्र पुत्र नौरंगसिंह (मृतक)
   2.1 समोद पत्नी राजेन्द्र
   2.2 रवीश, रज़नीश कुमार पिता राजेन्द्र
3. जयसिंह पुत्र नौरंगसिंह
4. सावित्री पुत्री नौरंगसिंह
5. सुखदेवसिंह पुत्र भूराराम समस्त जाति जाट निवासी राहड़ा का बास तहसील मलसीसर
6. झाबरराम (मृतक)
   6.1 ज्यानकी देवी पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी रामलाल के पास अलसीसर
   6.2 बीरबल (मृतक)
   6.2.1 सरोज पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी ढ़ाणी रामलाल के पास अलसीसर
   6.2.2 अवनीश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढ़ाणी रामलाल के पास अलसीसर
   6.2.3 नितेश पुत्री बीरबल पत्नी विकास जाति जाट निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर
   6.3 इन्द्राज पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी रामलाल के पास अलसीसर
   6.4 सजना देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी रामलाल के पास अलसीसर
7. मोहरसिंह, तारान्द, शिवचन्द पिता जोधाराम जाति जाट निवासी राहड़ का बास
8. श्रीचन्द पुत्र जोधाराम (मृतक)
   8.1 प्रवीण, पंकज, पवन पिता श्रीचन्द जाति जाट निवासी राहड़ा का बास
9. गुगन, बनवारीपिता रामेश्वर जाति जाट निवासी राहड़ा का बास
10. रामकरण पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी राहड़ा का बास
11. बिरजुराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी राहड़ा का बास तहसील मलसीसर
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धन्दुरी जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

(साधुराम जाट)
प्रभारी अधिकारी, मलसीसर
... अभियान -2021

दावा धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

पत्रावली दिनांक 9.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के तहत ग्राम पंचायत लादूसर में आयोजित कैम्प में पेश हुई। दौराने कैम्प वादीगण उपस्थित होकर वाद में चाही गई सिद्वि अनुसार आदेश करने हेतु अनुरोध किया गया। कैम्प में उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा भी मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार आदेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण को राहत प्रदान करने की अपेक्षा की गई। साथ ही वादीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 19.3.2017 की फर्द मौका नपती प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार फैसला किया जाता है तो किसी को कोई उजर एतराज नहीं होगा।

कैम्प में उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों के कथनानुसार एवं वादी की प्रार्थना पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षेप में वादपत्रानुसार विवरण निम्नानुसार है :-

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम राहड़ा का बास की सरहद में स्थित हाल भूमि ख0न0 50 लगायत 56 रकबा क्रमशः 2.08 हैक्टर, 1.04 हैक्टर, 1.64 हैक्टर, 2.28 हैक्टर, 1.20 हैक्टर, 1.33 हैक्टर व 1.45 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 6.60 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसमें वादीगण प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हकूक कब्जे काश्त के अनुसार काबिज है। पटवारी हल्का से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादीत जमीन बावत आदेश क्रमांक 2013 दिनांक 19.2.2013 का हवाला देकर नामान्तरकरण संख्या 60 में अमराराम पुत्र मालाराम का नाम दुरूस्त कर अमरसिंह पुत्र माला व नामान्तरकरण संख्या 61 से खसरा नम्बर 53 तादादी 1.64 है0 की जगह 2.28 हैक्टर एवं जमीन खसरा नम्बर 52 में सुखदेवा पुत्र भूराराम के नाम 1.00 हैक्टर जमीन दर्ज की गई है। जो कि वादीगण के हक हकुक के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है तथा वादपत्र की धारा 3 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण (प्रतिवादी संख्या 1 को छोड़कर) कब्जे के अनुसार जमीन दर्ज करने पर कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस वाके ग्राम राहड़ा का बास खसरा नम्बर 50 लगायत 56 वादीगण व प्रतिवादीगण (प्रतिवादी संख्या 1 को छोड़कर) के कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा किया जाकर कब्जा व काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादीगण को विधिवत तामिल के पश्चात भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही प्रतिवादीगण की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। प्रथमदृष्टया नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी यदि प्रतिवादीगण अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। परन्तु प्रकरण नियमित न्यायालय में सुनवाई के बीच राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गावों के संग अभियान, 2021 के तहत ग्राम पंचायत लादूसर में आयोजित कैम्प में पेश हुआ है। अतः कैम्प में एकतरफा कार्यवाही न्यायहीत में उचित प्रतीत नही होती। परन्तु चूंकि कैम्प में उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों के कथनानुसार एवं वादीगण के अनुरोध पर न्यायहीत में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं वाद की प्रकृति को देखते हुये प्रतिवादीगणों के भी न्यायहीतो की रक्षा हो सके, पुनः पटवारी हल्का लादूसर एवं पटवारी हल्का रामपुरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर प्रत्येक खातेदार काश्तकार का मौके पर कब्जे काश्त का मिलान विरासत के आधार पर मिलने वाले हिस्से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(साधुराम जाट)
प्रभारी अधिकारी, मलसीसर
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

नुसार कर राजस्व नक्शा मानचित्र में अंकित खसरा नम्बरवार रकबे के अनुसार रकबा बरारी कर र्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

पटवारी हल्का लादूसर तथा पटवारी हल्का रामपुरा द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जाकर मौके पर कब्जे काश्त का विरासत के आधार पर मिलने वाले हिस्से के अनुसार राजस्व नक्शा मानचित्र में अंकित खसरावार रकबे की रकबा बरारी कर फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर सहमती के रूप में मौके पर उपस्थित खातेदार काश्तकारो (वादी एवं प्रतिवादीगण) के हस्ताक्षर करवाये गये। वाद पत्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे काश्त एवं विरासत के अनुसार आने वाले हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं है। इनका विवाद जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बरवार हिस्सा एवं मौके पर कब्जे में भिन्नता को लेकर है।

पटवारी हल्का लादूसर एवं पटवारी हल्का रामपुरा से प्राप्त फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया :–

	जमाबंदी के अनुसार स्थिति					कब्जाकाश्त के अनुसार प्रस्तावित			
क्र. सं.	खाता सं.	ख. न.	रकबा	किस्म	मौके पर कब्जाकाश्त व रिकार्ड के अनुसार नाम खातेदार पिता का नाम व जाति	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	50	2.08	बा.2	जमाबंदी के खाता सं. 20 के अनुसार	50	1.05	बा.2	
2	65	51	1.04	बा.2	जमाबंदी के खाता सं. 65 के अनुसार	51	1.04	बा.2	
3	92	52	1.00	बा.1	सुखदेवसिंह पुत्र भूराराम हि0 1/2 जयसिंह पुत्र नोरंगसिंह हि. 1/6 राजेन्द्रसिंह पुत्र नोरंगसिंह हि. 1/6 सावित्री पुत्री नोरंगसिंह हि. 1/6 जाति जाट सा0 देह	52 मी. 52 मी.	1.04 0.07	बा.1 गै.मु. रास्ता	
4	33	53	2.28	बा.1	धन्नाराम पुत्र नाराणा हि.1/4 धर्मपाल पुत्र नाराणा हि.1/4 हरिराम पुत्र नाराणा हि. 1/4 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर विमला देवी पत्नी धीरसिंह हि.1/16 सुनितादेवी पुत्री धीरसिंह हि. 1/16 सुरेन्द्रसिंह पुत्र धीरसिंह हि. 1/16 सतवीरसिंह पुत्र धीरसिंह हि.1/16 जाति जाट सा0देह	53 मी.	1.56	बा.1	
					अमरसिंह पुत्र मालाराम हि.1/3 फूलचन्द पुत्र मालाराम हि.1/3 रामेश्वर पुत्र मालाराम हि01/3	53 मी.	1.56	बा.1	
					जमाबंदी के खाता संख्या 33 के अनुसार	53 मी.	0.08	गै.मु. रास्ता	
	योग किता 4		6.40			कि. 7	6.40		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(साबुराम जाट)
प्रभारी अधिकारी ,अलसीसर
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

ण के कथनानुसार हमने तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त दिनांक 19.3.2017 की रिपोर्ट का कन किया। दिनांक 19.3.2017 की फर्द मौका नपती के अनुसार खसरा नम्बर 50 के रिकार्डेड 2.08 हैक्टर को 0.87 हैक्टर कम करके 1.21 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 53 के रिकार्डेड रकबा हैक्टर में 0.87 हैक्टर शामिल करके 3.15 हैक्टर कर दिया जावे शेष यथावत रखा जावे।

दिनांक 19.3.2017 की फर्द नपती एवं दिनांक 9.11.2021 को पटवारी हल्का लादूसर एवं री हल्का रामपुरा की संयुक्त फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया साथ मे राजस्व मानचित्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन कर मनन किया। पत्रावली में न पूर्व जमाबंदी सम्वत 2068–71 का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 50 रकबा 2.08 हैक्टर सिंह, सुखदेवा पिता भूराराम हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 51 रकबा 1.04 हैक्टर राजेन्द्र पुत्र सिंह, खसरा नम्बर 52 रकबा 1.64 हैक्टर मालाराम, खसरा नम्बर 53 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा 54रकबा 1.20 हैक्टर गुगन, बनवारी पिता रामेश्वर हि0 1/2 व रामकरण पुत्र भगवानाराम /2, खसरा नम्बर 55 रकबा 1.33 हैक्टर जोधाराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड रही है खसरा नम्बर 56 रकबा 1.45 हैक्टर बिरजूराम पुत्र हुक्माराम के नाम दर्ज रिकार्ड होना पाया। नम्बर 54, 55 व 56 के संबध में मौके की कब्जेकाश्त व रिकार्ड के अनुसार कोई विवाद नहीं उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों एवं वादीगण द्वारा बताया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 54, 55 के संबंध में विभाजन के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष नहीं होने से कब्जेकाश्त को लेकर इन चार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। खसरा संख्या 50, 51, 52 व 53 को लेकर ार के मध्य मौकेपर कब्जेकाश्त के अनुसार रिकार्ड नहीं होने से असमंजस की स्थिति है। इसी ष्टिगत राजस्व नक्शा मानचित्र का भी अवलोकन किया गया। राजस्व नक्शा मानचित्र के कन में यह सामने आया कि खसरा संख्या 50, 51, 52 व 53 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार व नक्शा मानचित्र के अनुसार रकबे में काफी भिन्नता है इसी भिन्नता के चलते खातेदार कार के मध्य असंमजस की स्थिति है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लदार मलसीसर से प्राप्त पूर्व की फर्द मौका नपती दिनांक 19.3.2017 राजस्व नक्शा मानचित्र नुसार एवं मौका कब्जा काश्त के अनुसार पूर्ण समाधान नहीं करती है जिससे उक्त रिपोर्ट पर किया जाना समस्त खातेदारान के न्यायहितो के मध्यनजर उचित प्रतीत नहीं होता। दिनांक 2021 को पटवारी हल्का लादूसर एव पटवारी हल्का रामपुरा द्वारा तैयार फर्द मौका विभाजन व नक्शा मानचित्र एवं मौका कब्जाकाश्त के अनुसार समस्त खातेदारान के न्यायहितों को पूरा है। अतः तदनुसार रिकार्ड दुरूस्ती कर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित होता है।

निर्णय

ग्राम राहड़ा का बास स्थित आराजी नम्बर 50 रकबा 2.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 1.04 , खसरा संख्या 52 रकबा 1.00 हैक्टर व खसरा संख्या 53 रकबा 2.28 हैक्टर के स्थान पर संख्या 50 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा संख्या 51 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा संख्या 52 रकबा हैक्टर व खसरा संख्या 53 रकबा 3.20 हैक्टर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार लदार मलसीसर को दुरूस्त कर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 9.11.2021 के अनुसार खसरा संख्या 1, 52 व 53 के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 54, 55 व 56 रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार युक्तियुक्त रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये पर मौका कमीश्नर नियुक्त जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी अधिकारी, मलसीसर
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021